संख्या-523/2018/398/22-2-2018-17(119)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8787/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम-17.11.2016) दिनांक 09.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका, जो-मोहद्दीनपुर, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन के विवाद में दिनांक 02.01.1985 को प्रात: 9:45 बजे लगभग 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक,राईफल, तमंचो से 21 लोगों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/85 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 436/149, 440/149, 307/149, 452, के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सीतापुर के आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2016 तक 18 वर्ष 00 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 10 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के 10 सहअभियुक्तों में से 05 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो गयी है, 01सहअभियुक्त मा0 न्यायालय से दोषमुक्त हुआ तथा 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने जमीन के विवाद में दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक,राईफल, तमंचो से 21 लोगों की नृशंस हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होन, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी,पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता,जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति **नहीं की** गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बहादुर (बन्दी संख्या-37226) पुत्र श्री चन्द्रिका, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-523/2018/398(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-523/2018/398/22-2-2018-17(119)/2018

दिनांक 26 जून, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका, जो-मोहद्दीनपुर, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन के विवाद में दिनांक 02.01.1985 को प्रात: 9:45 बजे लगभग 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक,राईफल, तमंचो से 21 लोगों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/85 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 436/149, 440/149, 307/149, 452, के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सीतापुर के आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2016 तक 18 वर्ष 00 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 10 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के 10 सहअभियुक्तों में से 05 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो गयी है, 01सहअभियुक्त मा0 न्यायालय से दोषमुक्त हुआ तथा 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने जमीन के विवाद में दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक,राईफल, तमंचो से 21 लोगों की नृशंस हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होन, बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, इसकी पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी,पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता,जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बहादुर पुत्र श्री चन्द्रिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति **नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in